ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवा

*313. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया था, यदि हां, तो यह संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए 50वें दौरे के सर्वेक्षण (1993-94) के आधार पर ग्रामीण बेरोजगारी के हाल के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 4.71 मिलियन लोग बेरोजगार थे जिनमें से 4.17 मिलियन 15 से 29 वर्ष की आयु समूह के युवा थे। केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे प्रधान मंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम)। प्रधान मंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को ग्रामोद्योग लगाने में समर्थ बनाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सब्सिडी और आवधिक ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता के जरिए ग्रामीण गरीबों को उत्पादक परिसम्पत्तियों और अन्तर्वस्तुएं मुहैया कराकर स्वरोजगार पैदा करता है। डवाकरा का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं की आय का स्तर बढ़ाना है ताकि वे संगठित होकर सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ट्राइसेम का उद्देश्य लोगों को आधारभूत तकनीकी और प्रबंध कौशल प्रदान करना और उसका उन्नयन करना है ताकि वे कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं और व्यावसायिक क्रियाकलापों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार शुरू करने में समर्थ हो सकें।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त के साथ वार्ता

*314. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार आयुक्त, मैरी रॉबिन्स ने भारत सरकार के साथ मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में कई दौर की वार्ताएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मानवाधिकार पर 7वीं एशिया पेसिफिक रीजनल वर्कशाप के सिलसिले में इस वर्ष फरवरी माह में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त, मैरी रॉबिन्सन ने नई दिल्ली का दौरा किया। भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के बारे में आम मुद्दे उठाए। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों से निपटने में हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।

OECF-aided Rural Water Supply Projects

*315. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some rural water supply projects are being implemented in the country with the aid and assistance of Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan;

(b) if so, the States where those projects are being implemented at present;

(c) whether any such project has been launched in Orissa; and

(d) if so, the details of fund provision made for the purpose and the progress of those projects as on date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (d) At present only one Rural Water Supply Project viz. Kerala Water Supply Project in Kerala is being taken up for implementation in the country with Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) (Japan)